



भारत सरकार/Government of India  
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs  
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय  
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA  
2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011  
2/A, Man Singh Road New Delhi - 110011

दिनांक: 31 जुलाई, 2015

स. 1/12/2014-वीएस-(सीआरएस)/806

परिपत्र

MIS

विषय: जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आरंभिक शब्दों  
आवक संख्या  
दि.

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए समत नियमों के तहत किया जाता है। यह कार्यालय संलग्न के मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के कार्यालयों के समन्वय और एकीकरण के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकरण है। वर्ष 2010 तक जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सतत्वापी बनाने के लिए भारत ने अभी हाल ही में महत्वाकांक्षी विचार प्रयोग की घोषणा की है। उक्त साक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस कार्यालय ने अनेक प्रयत्न की है।

आवक संख्या

जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने के 46 वर्षों के पश्चात भी भारत आज इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और जन्म और मृत्यु के संबंध में लगभग 15 और 30 प्रतिशत मामलों का पंजीकरण नहीं हो रहा है। आदर्श रूप से देखा जाए तो जन्म प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति के जीवन का पहला आधिकारिक दस्तावेज होता है और मृत्यु प्रमाण पत्र निरी का जीवन समाप्त होने का प्रमाणपत्र होता है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार की प्रविष्टियां सार्वजनिक दस्तावेज होती हैं तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 15 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु प्रमाणपत्रों के तहत में निष्कर्ष (अंतिम) साक्ष्य होती है। उन प्रविष्टियों के आधार पर आरबीडी अधिनियम, 1969 के धारा 15 और 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं तथा ये प्रमाणपत्रों से संबंधित व्यक्ति के जन्म अथवा मृत्यु को प्रमाणित करने के प्रयोजन से साक्ष्य के रूप में प्रयोज्य होते हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाणपत्र विधिक दस्तावेज होता है।

3. यह कार्यालय अपेक्षा करता है कि आपके कार्यालय द्वारा जनता को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपलब्धता से जोड़ा जाना चाहिए जिससे जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता बढ़ेगी। इसके परिणामस्वरूप जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का राष्ट्रीय स्तर स्तर ही संपूर्ण पंजीकरण की आशा रहेगी।

14/116

4. इसलिए संबंधित प्राधिकारियों को उनके द्वारा दी जाने वाली निम्न स्तरकी जानकारी सेनाओं से जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपलब्धता से जोड़ने के लिए निदेश दिए जाए

- मातृत्व लाभ योजनाएँ और जन्म सुरक्षा योजना (जेएचआई)
- टीकाकरण कार्डों से जन्म का पंजीकरण हुआ है अथवा नहीं, को दर्शाने वाले कार्डों को सौंपना करना
- स्कूल में प्रवेश,
- राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर में बच्चे का नाम शामिल करना,
- सरकारी और गैर सरकारी सेवा में प्रतिष्ठित और सेवा पुस्तिका का रखरखाव,
- मतदाता सूची/संजगर कार्यालय में नाम शामिल करना,
- पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस जारी करना,
- आधार/एनपीआर पंजीकरण,
- विवाह और तलाक/संबंध विच्छेद पंजीकरण,
- राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर से नाम हटाना,
- उत्तराधिकार के मुद्दों के निपटान के संबंध में,
- बीमा दावों के निपटान के संबंध में,
- पारिवारिक प्रश्न के निपटान के संबंध में,

5. माफसे अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सेवाओं/स्तरों के संबंध में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास प्रारंभ करें। इस संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी इस कार्यालय को भी दी जाए।

६०

(सि.के.सी.जी.)

संयुक्त सचिव

भारत के महाराजिस्ट्रार एवं जनगणना सचिव

सेना में,

1. विदेश सचालय, विन्तीय सेवाएँ विभाग, भारत निवोचन आयोग, भारत सरकार के सचिव।
2. सभी मुख्य/एन. मुख्य/अपर मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु।
3. सभी जीवन बीमा कम्पनियों के प्रमुख (सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों)।
4. सभी मुख्य पासपोर्ट अधिकारी।
5. सभी राज्य परिवहन प्राधिकरण।
6. भारत के महाराजिस्ट्रार के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट।

संयुक्त सचिव

*(हस्ताक्षर)*

(सि.के.सी.जी.)

संयुक्त सचिव